भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2233
उत्तर देने की तारीख 09 दिसंबर, 2024
18 अग्रहायण, 1946 (शक)

खेल परिसर की स्थापना

2233. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं के लिए सभी सुविधाओं से युक्त खेल परिसर की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो खरगौन - बड़वानी संसदीय क्षेत्र में सभी सुविधाओं से युक्त कितने खेल परिसर आदिवासी युवाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं और उक्त परिसरों के कब तक तैयार होने की संभावना है; और

(ग) क्या खरगौन-बड़वानी संसदीय क्षेत्र के आदिवासी युवाओं के लिए सभी सुविधाओं से युक्त खेल परिसरों को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है और यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, देश के जनजातीय क्षेत्रों सहित खेल अवसंरचना के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर कर उनके प्रयासों में सहायता करती है। इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम एक मांग-आधारित स्कीम है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और अन्य पात्र निकायों से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर स्कीम के अंतर्गत उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है। खेलो इंडिया स्कीम के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा इसकी मंजूरी की तारीख से दो वर्ष है। परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व अनुदान प्राप्तकर्ता का होता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना के साथ-साथ उनके वित्तीय प्रभावों का विवरण, मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

*****